न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2021/91

1. अनिल आचार्य 23 वर्ष पुत्र राजाराम पौत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण।
2. मुकेश आचार्य 18 वर्ष पुत्र लूणाराम पौत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर हाल चक 41केवाईडी–बीतहसीलखाजूवालाजिलाबीकानेर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटुराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. दुर्गाराम पुत्र मालाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. राजाराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. लुणाराम पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. रतनलाल पुत्र दुर्गाराम जाति ब्राहम्ण साकिन खीन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

दावे का विवरण इस प्रकार है विवादित आराजी चक 41 केवाईडी–बी के मुरब्बा नंबर 122/2 के किला नंबर 1 ता 19 कुल 19 बीघा भूमि वादीगण के दादा दुर्गाराम पुत्र मालाराम को भूमिहीन आवंटन के तहत आंवटित हुई थी। वादीगण का कहना है कि दुर्गाराम काफी वृद्ध बुजुर्ग हो गए है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 उनको बहला–फुसलाकर जमीन को बेचान करने की फिराक में है।

दुर्गाराम को भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त जमीन भूमिहीन श्रेणी के तहत आंवटित की गई थी। इसलिए भूमि पर परिवार का भी अधिकार है। वादीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि दुर्गाराम को उक्त भूमि का बेचान करने से रोका जाए और उक्त भूमि में से उनके हक–हकूक तक की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज की जाए।

अदालत द्वारा वादीगण द्वारा पेश की गई दलीलों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है विवादित जमीन दुर्गाराम की स्व–अर्जित संपत्ति है क्योंकि यह जमीन दुर्गाराम को सरकार द्वारा grant के तौर पर आंवटित की गई है।

यह सही है कि आंवटन करते वक्त आवेदक के परिवार के नाम दर्ज भूमि का भी संज्ञान लिया जाता है और परिवार के नाम दर्ज भूमि की बुनियाद पर ही आवंटन की जाने वाली जमीन की गणना की जाती है।

लेकिन इस बुनियाद पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता की आंवटित जमीन आवेदक की स्व–अर्जित संपत्ति नहीं है। बल्कि यह कहना जायज होगा कि आंवटन की गई संपत्ति उन सब लोगों की संयुक्त स्व–अर्जित संपत्ति है जो अलॉटमेंट के वक्त आवेदक के परिवार का हिस्सा थे। क्योंकि वादी गण आंवटन के वक्त पैदा नहीं हुए थे इसलिए वादीगण इस आधार पर कि आंवटन के समय परिवार के नाम दर्ज जमीन को आधार माना [illegible] विवादित जमीन में कोई हक प्राप्त नहीं कर सकते।

इसलिए अदालत का मानना है यह दावा सस्टेनेबल नहीं है, धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:47:14 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:47:14 IST
Reason: SelfAttested